

17/2013

तारीख हुक्म

हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

30-08-19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 के सही पते पते पर नोटिस तलबाना प्रस्तुत नहीं हुवे है। अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध इकतरफा है। वकील प्रार्थी ने पक्षकार से संपर्क न होने के कारण आदेशिका पर नो-इन्स्ट्रैक्शन जाहिर किया है। प्रार्थी को आवाज लगवाई गई। प्रार्थी अनपुस्थित। अतः पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा आदेशिका पर किये गये नो-इन्स्ट्रैक्शन एवं प्रार्थी की अनुपस्थिति के आधार पर इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

॥

नंबर
अहक
हुक्म
जारी